ELECTION MANUAL

निर्वाचन मार्गदर्शिका 2014

मध्यप्रदेश की सहकारी संस्थाओं का स्वरूप प्रजातांत्रिक है। इनका प्रबंध, संचालक मंडल में निहित होता है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल के निर्वाचन की व्यवस्था का दायित्व बहिर्गामी संचालक मंडल का है। निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं विधि सम्मत रूप से सम्पन्न हो, इसके लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, की स्थापना की गई है:-

1. प्रशासनिक व्यवस्था -

1.1 प्रदेश की प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर तक की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में सम्पन्न होंगे।

1.2 राजस्व संभाग मुख्यालयों पर पदस्थ संयुक्त आयुक्त (सहकारिता) क्षेत्रीय निर्वाचन प्रभारी होंगे तथा उनके राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन बाबत उनकी भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगी। समय-समय पर चरणबद्ध निर्वाचन प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्य प्रदेश को क्षेत्रीय निर्वाचन प्रभारी द्वारा दी जावेगी।

1.3 राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश के द्वारा सहकारी सोसायटी के निर्वाचन संचालित कराने के लिये राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के लिए अपर/संयुक्त आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, सहकारिता, संभागीय स्तर पर संयुक्त पंजीयक एवं जिले स्तर पर उप/सहायक पंजीयक को समन्वयक नियुक्त किया गया है।

1.4 संभाग एवं जिलों में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की प्रक्रिया संभागीय समन्वयक/जिला समन्वयक के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में सम्पन्न करावेंगे। निर्वाचन की समस्त कार्यवाही कलेक्टर के सामान्य नियंत्रण में सम्पन्न करायी जावेगी। समय - समय पर चरणबद्ध जानकारी कलेक्टर एवं संयुक्त रजिस्ट्रार को

अनिवार्य रूप से दी जावेगी। निर्वाचन संबंधी मार्गदर्शन क्षेत्रीय निर्वाचन प्रभारी से प्राप्त किया जावेगा।

1.5 सम्पूर्ण जिले को संस्थाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए जोन में विभाजित कर जोनल अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। जोनल अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर को सम्पूर्ण निर्वाचन में मागदर्शन देगा तथा संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार व रिटर्निंग आफिसर के बीच समन्वय का काम करेंगे।

1.6 सहकारी सोसायटी के निर्वाचन कराने के लिये सोसायटी द्वारा तैयार की गई निर्वाचन नामावली के प्रकाशन एवं उस पर आपत्तियॉ प्राप्त कर, प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत अंतिम नामावली के प्रकाशन की कार्यवाही करने के लिय राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश के द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

2 संस्था के सदस्यों की सूची (मतदाता सूची) तैयार किया जाना -

संस्था का यह कर्तव्य है कि निर्वाचन हेतु संचालक मण्डल के कार्यकाल अवसान होने की अवधि से कम से कम 04 माह पूर्व की स्थिति के आधार पर सदस्यों की सूची तैयार करें। इस सूची में धारा (50-क) के अधीन निरर्हता से ग्रस्त सदस्यों के नाम के समक्ष व्यतिक्रमी (X) लिखा जावेगा। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला सदस्यों के नाम के सामने तद्नुसार वर्ग का उल्लेख भी किया जावेगा।

म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 22 (1) की उपधारा 1-क के प्रावधान अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी का प्रत्येक निक्षेपकर्ता सदस्य का नाम सदस्यता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे, परन्तु प्राथमिक कृषि साख संस्था की उपविधि क्रमांक 11 (ii) के अनुसार संचालक मंडल के निर्वाचन में मत देने एवं अभ्यर्थी होने का अधिकार ऐसे अमानतदार सदस्यों को ही होगा जिसके खाते में लगातार दो वर्ष तक कम से कम रूपये 1000/- या उससे अधिक जमा रहें हो (उपविधि अनुसार)। निक्षेपकर्ताओं की सूची पृथक से तैयार की जावेगी-जो मूल सूची का भाग होगी।

इस प्रकार तैयार की गई सूची प्राधिकारी को निर्वाचन दिनांक के 04 माह पूर्व उपलब्ध कराई जावेगी। सदस्यों की सूची का प्ररूप एवं जिस सोसायटी के निर्वाचन सदस्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा संपन्न कराये जाना है उनकी सदस्यता सूची का प्ररूप छ-1 परिशिष्ट पर संलग्न है।

सूची पर संस्था के अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि सूची संस्था अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई है। सूची के अंत में सदस्यों का वर्गवार विवरण भी अंकित किया जावेगा।

इस तरह सूची तैयार करने के पूर्व धारा 50 (क) के अधीन निरर्हता की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति/सदस्य को डाक अथवा व्यक्तिगत लिखित सूचना की अभिस्वीकृति के माध्यम से दी जावेगी तथा 12 माह से अधिक अवधि के व्यतिक्रमी की सूची सोसाइटी के सूचना पटल पर प्रबंधक/अध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्रकाशित की जावेंगी।

3 निर्वाचन हेतु प्राधिकारी को आवेदन -

सोसाइटी द्वारा उक्तानुसार तैयार की गई सूची एवं निर्वाचन हेतु प्राधिकारी को देय प्रक्रिया शुल्क के साथ जिला/संभागीय समन्वयक के माध्यम से नवीन संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संचालक मंडल के कार्यकाल के अवसान होने की अवधि के कम से कम चार माह पूर्व प्ररूप छ-2 में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी:-

(क) संचालक मंडल के संकल्प की सत्यप्रति;

(ख) उपविधि की प्रति;

(ग) वह तारीख जिसको अंतिम निर्वाचन हुए थे;

(घ) वह तारीख जिसको विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि का अवसान हो रहा है;

(ङ) धारा 53 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो;

(च) नई-रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख;

(छ) निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या;

(ज) क्या उपविधियां, संचालक मण्डल के निर्वाचन के पूर्व, प्रत्यायुक्तों से साधारण निकाय के गठन या वार्डों के सृजन का उपबन्ध करती हैं और इसके लिए की गई कार्रवाई, यदि कोई हो;

(झ) अन्य जानकारी जो निर्वाचन के संचालन के लिए सुसंगत हो।

नोट:- आवेदन में उपविधि अनुसार सदस्यों का वर्गीकरण एवं उनसे वर्गवार निर्वाचित होने वाले संचालकों का स्पष्ट विवरण दिया जाय।

4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति -

प्राधिकारी द्वारा समन्वयक के माध्यम से सोसायटी से प्राप्त आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् सदस्यता सूची के प्रकाशन, उस पर आपत्तियां प्राप्त करने, ऐसी आपत्तियों का निपटारा करने तथा अंतिम सदस्यता सूची तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। प्राधिकारी द्वारा जिला/संभागीय समन्वयक के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नियुक्ति पत्र एवं सदस्यता सूची उपलब्ध कराएगा।

5 सदस्यता सूची का प्रकाशन -

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकारी से सदस्यता सूची प्राप्त हो जाने के पश्चात् तथा सूची में नाम जोड़ने के लिये तथा उसमें की किसी प्रविष्टि पर आपत्ति आमंत्रित करने के लिये प्ररूप छ-3 में सोसाइटी के समस्त सदस्यों को क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशन द्वारा तथा निम्नलिखित में से किसी एक रीति से भेजेगा, अर्थात:-